Pension

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

....

No.F(E)III/2002/PN1/23. NEW DELHI Dt: 17.07.2002

General Managers,
All Zonal Railways & Production Units.

Sub: Submission of proposals to Railway Board seeking clarification in pensionary matters through the Accounts Departments.

....

It has come to notice that references seeking clarifications in pensionary matters are being sent to Board by Personnel Departments of the Zonal Railways etc. without consulting their Associate Finance. This is not in accordance with the prescribed procedure. It is, therefore, reiterated that whenever any doubt arises in implementation of the orders issued by the Board or in interpretation of any of the existing rules, Personnel Departments of the Railways should first seek clarification from their Associate Finance. If the doubt still persists even after such consultation, a reference seeking clarification in the matter may be sent by the Personnel Department of the Railway along with the verbatim comments of their FA&CAO. for consideration by Railway Board.

Please acknowledge receipt.

Sreeram
(S. SREERAM)
Dy. Director Finance (Estt.)III.,
Railway Board.

Copy to FA&CAOs/All Zonal Railways & Production Units.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं० एफ (ई)।।।/2002/पीएन० 1/23 नई दिल्ली दिनांक17·07·2002

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रिय रेलें तथा उत्पादन इकाइयाँ ।

विषय : पेंशन संबंधी मामलों में बोर्ड का स्पष्टीकरण मांगने के सभी प्रस्तावों को लेखा विभाग के माध्यम से भेजना ।

ऐसा पाया गया है कि क्षेत्रिय रेलों आदि के कार्मिक विभाग द्वारा पेंशन संबंधी मामलों में बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगने के प्रस्ताव वित्त विभाग के परामर्श के बिना ही भेजे जा रहे हैं । ऐसा करना प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार नहीं है । इसलिए पुन: याद दिलाया जाता है कि जब कभी बोर्ड द्वारा जारी किये गये पेंशन संबंधी आदेशों या किसी भी वर्तमान नियमों के समझने में किसी प्रकार की शंका हो तो रेलवे के कार्मिक विभागों को पहले अपने वित्त विभाग से परामर्श लेना जरूरी है । इस तरह के परामर्श के बावजूद यदि कोई शंका रह जाती है तो रेलवे के कार्मिक विभाग ऐसे मामले को बोर्ड से स्पष्टीकरण के लिए भेज सकते हैं जिसके साथ रेलवे के वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के विचार होना भी जरूरी है ।

कृपया पावती दें ।

एस० श्रीराम
(एस० श्रीराम)
उप निदेशक वित्त (स्था०)।।।
रेलवे बोर्ड ।

प्रति सभी क्षेत्रिय रेलों एवम् उत्पादन इकाइयों के वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी को प्रेषित ।